



# ट्रायबल वेलफेर टीचर्स एसोसिएशन

TRIBAL WELFARE TEACHERS ASSOCIATION

कार्यालय – आनन्द कालोनी देवदा, जिला मण्डला Email : dksingore@gmail.com

Reg.No.04/19/0120815/19



संजीव कादरी उपाध्यक्ष 8435739678	हेमेन्द्र मालवीय सचिव 9752393841	मुकेश पाटीदार वरिष्ठ उपाध्यक्ष 9752405962	मनीष पंवार महासचिव 9425436604	सुरेश यादव महासचिव 9926809680	डॉ.के.सिंगार प्रांताध्यक्ष 9425483556
--	--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---

इलियास खान  
संगठन मंत्री  
9406681499

सुशील नागेश्वर  
सह संगठन मंत्री  
9753126130

शिरीन कुरेशी  
महासचिव  
7354039108

संजय कुमार शुक्ला  
उपाध्यक्ष  
8965891777

व्यास नारायण दुबे  
उपाध्यक्ष  
9425853532

बाबुसिंह डामोर  
उपाध्यक्ष  
7999019852

अरुण कुशवाह  
संयुक्त सचिव  
9425938908

नीरज दुबे  
कोषाध्यक्ष  
9713898708

कमलेश गुप्ता  
उपकोषाध्यक्ष  
8120013800

संजीव सोनी  
प्रवक्ता  
9425855709

विजय उपाध्याय  
आई.टी.सेल प्रभारी  
9407072255

इरफान मंसुरी  
मीडिया प्रभारी  
9111223891

क्र / डी / 2019 / 183

मण्डला, दि 16 / 01 / 2020

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी

म.प्र.शासन. भोपाल

विषय:- 20–50 फार्मूला के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृति के सम्बंध में।

महोदय,

विषयानुसार उल्लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत 16 शिक्षकों की अनिवार्य सेवा निवृति प्रदान की गई है। 4 दिसम्बर को एसोसिएशन ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा से मुलाकात कर अवगत कराया था कि अध्यापक से शिक्षक संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों की अनिवार्य सेवा निवृति नियम विरुद्ध है अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकरण पर परीक्षण नहीं कराया गया और 16 में से एक माध्यमिक शिक्षक श्री यज्ञसेन श्यामले जिला सिंगरौली की दिनांक 15 जनवरी 2020 को मृत्यु हो गई है। हो सकता है उनकी मृत्यु के पीछे अनिवार्य सेवा निवृति का कारण हो और इसी प्रकार की घटना अन्य शिक्षकों के साथ भी हो सकती है। चूंकि अध्यापक से शिक्षक संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों को म.प्र.पेशन नियम 1976 लागू नहीं है अतः इन शिक्षकों को अनिवार्य सेवा निवृति नहीं दी जा सकती है। एनपीएस योजना के अन्तर्गत इन शिक्षकों को अधिकत्तम 1500रु. पेंशन प्राप्त होगी जिसके कारण इन शिक्षकों में अनिवार्य सेवा निवृति के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव है। अतः नि.लि. अन्य बिन्दुओं पर भी गौर करते हुये सभी शिक्षकों की अनिवार्य सेवा निवृति निरस्त करने की मांग एसोसिएशन करता है:-

1. अनिवार्य सेवानिवृति की कार्यवाही में पूरी सेवा का रिकार्ड नहीं देखा गया है।
2. 20–50 फार्मूला के आधार पर अनिवार्य सेवा निवृति का प्रावधान म.प्र.पेशन नियम 1976 के अन्तर्गत है जबकि शिक्षण संवर्ग के शिक्षकों को मप्र पेशन नियम 1976 लागू नहीं है।

